171
5:00

संख्या 79 /ix–1/ – /2014

प्रेषक,

सुभाष कुमार
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–अपर मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तराखण्ड शासन

2–परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

3–आयुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल।
उत्तराखण्ड।

4–पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड।

5–समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

6–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।

7–समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

परिवहन अनुभाग–1 **देहरादूनः दिनांक /2 मई, 2014**

विषयः–सरकारी कार्यालयों, अधिकारियो/कर्मचारियों द्वारा अपने निजी वाहनों पर (आगे व पीछे) भारत सरकार, उत्तराखण्ड सरकार अथवा सरकारी कार्यालय के नाम का प्रयोग प्रतिबन्धित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–636/ix–1/103/2013 दिनांक 20 अगस्त, 2013 (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे।

2– प्रायः यह देखा जा रहा है कि शासन के उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित नही किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या–29/2014 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निजी वाहनों पर असंवैधानिक रूप 'भारत सरकार', 'राज्य सरकार' अथवा विभाग अंकित किये जाने का संज्ञान लेते हुये मुख्य स्थायी अधिवक्ता को निर्देश दिये गये है कि पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 20 अगस्त, 2013 एवं परिवहन आयुक्त के पत्र दिनांक 02 सितम्बर, 2013 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें। मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल का पत्र दिनांक 5–5–2014 संलग्न है।

3– अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा द्वरा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में निजी वाहनों पर 'भारत सरकार' 'राज्य सरकार' आदि का प्रयोग प्रतिबन्धित किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही कराने तथा अपने स्तर से जनपद स्तर पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को शासनादेश दिनांक 20 अगस्त, 2013 एवं आयुक्त परिवहन के पत्र दिनांक 2 सितम्बर, 2013 (प्रति संलग्न) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये उसकी सूचना शासन एवं परिवहन आयुक्त को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव

संख्या 79/ix–1/ /2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1–निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2–प्रभारी एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
3–अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, 12–ई0सी रोड, देहरादून।
4–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 उमाकान्त पंवार)
सचिव

G.O.2013.doc

संख्या 636/ix–1/103/2013

प्रेषक,

सुभाष कुमार
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

2–परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

3–आयुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल।
उत्तराखण्ड।

4–पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड

5–समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

6–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।

7–समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

परिवहन अनुभाग–1 **देहरादूनः दिनांक 20 अगस्त, 2013**

विषयः–सरकारी कार्यालयों, अधिकारियो/कर्मचारियों द्वारा अपने प्राइवेट वाहनों पर (आगे व पीछे) भारत सरकार उत्तराखण्ड सरकार अथवा सरकारी कार्यालय के नाम का प्रयोग प्रतिबन्धित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के प्राविधानों के अनुसार वाहनों में नम्बर प्लेट पर पंजीयन संख्या के अतिरिक्त कुछ भी अंकित किया जाना दण्डनीय अपराध है एवं किसी गैर सरकारी वाहन में नेमप्लेट लगाये जाने की व्यवस्था वर्तमान में नहीं है। समय–समय पर प्रवर्तन की कार्यवाही के दौरान ऐसा देखा गया कि विभिन्न गैर सरकारी, निजी वाहन, टैक्सी एवं किराये के वाहनों में रजिस्ट्रेशन प्लेट के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की नाम पट्टिका, उत्तराखण्ड सरकार की मुहर का प्रयोग अनधिकृत रूप से किया जा रहा है। ऐसे वाहनों में नेमप्लेट, भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार की मुहर/चिन्ह का प्रयोग किया जाना नियमों के विरूद्ध है। साथ ही ऐसा किये जाने से सुरक्षात्मक व प्रशासनिक अव्यवस्था तथा वाहनों के दुरूपयोग की सम्भवनाये विद्यमान रहती है।

इस सम्बन्ध में प्रशासनिक अध्यक्ष, नेशनल जस्टिस काउसिंल, 521 इन्द्रप्रकाश बिल्डिंग, 21–बारहखम्भा रोड, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 11–07–2013(प्रति संलग्न) प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्हें प्राप्त शिकायत में यह उल्लेख किया गया है कि सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपने प्राइवेट वाहनों में भारत सरकार, उत्तराखण्ड सरकार अथवा सरकारी कार्यालयों का नाम अंकित किया जा रहा है जो लोक सेवक अधिकारों का दुरूपयोग है।

अत इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि कोई भी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी अपने प्राइवेट वाहनों पर भारत सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा विभाग का नाम अंकित नहीं करेगा अन्यथा यह लोक सेवक के अधिकारों का दुरूपयोग माना जायेगा और ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–177 के अधीन कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव

G.O.2013.doc

संख्या 636(1)/ix–1/103/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–प्रशासनिक अध्यक्ष, नेशनल जस्टिस कांउसिल, 521 इन्दप्रकाश बिल्डिंग, 21 बारहखम्भा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली

2–निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

3–प्रभारी एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून

4–अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, 12–ई0सी रोड, देहरादून।

5–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 उमाकान्त पंवार)
सचिव

G.O.2013.doc

636/IX/2013

UMESH VEER VIKRAM SINGH
ADMINISTRATIVE CHAIRMAN
उमेश वीर विक्रम सिंह
प्रशासनिक अध्यक्ष

NJC

NATIONAL JUSTICE COUNCIL
नेशनल जस्टिस काउन्सिल

OFFICE : 521, INDRAPRAKSH BUILDING, 21, BARAKHAMBA ROAD, CONAUGHT PLACE, NEW DELHI - 110001
521, इन्द्रप्रकाश बिल्डिंग, 21-[illegible] रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001

नेशनल जस्टिस काउन्सिल
NJC
521, इन्द्र प्रस्थ बिल्डिंग, 21, बाराखम्बा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
National Justice Council

पत्रांक /प्र0अ0/विधि/एन.जे.सी./2013–2014/दिनाँक: 11/07/2013

1. प्रधानमन्त्री/प्रधानमन्त्री के सचिव–प्रथम, प्रधानमन्त्री कार्यालय, नई दिल्ली ।
2. कैबिनेट सचिव, भारत सरकार, कैबिनेट सचिवालय, नई दिल्ली–110001।
3. केन्द्रीय परिवहन सचिव, परिवहन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. मुख्य सचिव, दिल्ली राज्य शासन, सचिवालय एनेक्सी, नई दिल्ली।
5. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, राज्य शासन, सचिवालय एनेक्सी, लखनऊ।
6. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य शासन, सचिवालय एनेक्सी, देहरादून।
7. मुख्य सचिव, हरियाणा राज्य शासन, सचिवालय एनेक्सी, चण्डीगढ़।

विषय– अधिकारियों द्वारा अपने प्राइवेट वाहनों पर कई–कई जगह (आगे व पीछे) भारत सरकार या उत्तर प्रदेश, हरियाणा सरकार आदि"शब्द" के प्रयोग पर सांविधिक /कानूनी आपत्ति व इसे 30 दिन में हटाने हेतु बाध्यवाही रूप से सर्कुलर जारी करने हेतु विशेष एवं बाध्यकारी (बाउण्डेड) संज्ञान पत्र का प्रेषण–

प०सं० 938 /लि०स०/स०/13
देहरादून: दिनांक 22-7-2013

महोदय,

शिकायत प्राप्त हुई है– व

अक्सर देखा जाता है कि दिल्ली व अन्य राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हरियाणा आदि में अनेकों प्राइवेट व सरकारी वाहनों/कारों पर कई–कई जगह (आगे वह पीछे के भाग पर) भारत सरकार, हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार लिखा होता है, जो कि गैर कानूनी सांविधिक स्थिति है।

उक्त को दृष्टिगत रख बाध्यकारी अपेक्षा है कि 30 दिन में एक नोटिस के उसके अतिरिक्त आप उपरोक्त, केन्द्र सरकार के अधिकारियों को सरकार के सभी मन्त्रालयों/निगमों व अन्य को एवं सभी राज्यों के मुख्य सचिव अपने अपने राज्यों में कानूनन एक सर्कुलर जारी करेंगे कि कोई भी सरकारी कार्यालय एवं अधिकारी अपने प्राइवेट वाहनों पर भारत सरकार अथवा राज्य सरकार नहीं लिखेगें अन्यथा यह लोक सेवक अधिकारों का दुरूपयोग माना जायेगा। जो कि गैर कानूनी अपराध है।

यदि इस कार्यवाही को करने में उपरोक्त किसी भी नामित अधिकारी को आपत्ति है अथवा वे ऐसा नहीं करना चाहते हैं, तो उन कारणों से अवगत कराना होगा कि कानूनन ऐसा क्यों सम्भव नहीं है ताकि अग्रिम विधिक न्यायिक प्रकिया पर विचार/समीक्षा कर कार्यवाही प्रारम्भ की जा सके।

कृत कार्यवाही की एक प्रति जनहित में सभी जिम्मेदार अधिकारीगण N.J.C को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

दिनाँक : 11/07/2013

–प्रेषक
(उमेश वीर विकम सिंह)
प्रशासनिक अध्यक्ष

11 JUL 2013

पत्रांक 313/2–प्र0अ0/विधि/एन.जे.सी./20113–14/दिनाँक: 11/07/2013

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव (परिवहन)/परिवहन आयुक्त , उत्तरप्रदेश शासन, सचिवालय एनेक्सी, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव (परिवहन)/परिवहन आयुक्त , उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय एनेक्सी, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव (परिवहन)/परिवहन आयुक्त, हरियाणा शासन, सचिवालय एनेक्सी, चण्डीगढ़।
4. प्रमुख सचिव(परिवहन)/परिवहन आयुक्त, दिल्ली राज्य शासन, सचिवालय एनेक्सी, नई दिल्ली।
5. पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस, पुलिस मुख्यालय, नई दिल्ली।
6. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
7. पुलिस महानिदेशक, हरियाणा, पुलिस मुख्यालय, चण्डीगढ़।
8. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, पुलिस मुख्यालय, देहरादून।
9. कार्यालय रिकॉर्ड हेतु।

दिनाँक : 11/07/2013

प्र० स० परिवहन

(डॉ० उमाकान्त पंवार)
सचिव
परिवहन, [illegible]
उत्तराखण्ड [illegible]

(उमेश वीर विकम सिंह)
प्रशासनिक अध्यक्ष

प्रेषण
स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड/ए.डी./दस्ती
संदर्भ सं REF. No. 313/2
दिनांक DATE 11/07/2013
द्वारा BY N.J.C.
नेशनल जस्टिस काउन्सिल
NATIONAL JUSTICE COUNCIL
521, इन्द्रप्रस्थ बिल्डिंग/521, Indraprastha Building
21, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-1
21, Barakhamba Road
New Delhi-1

उप सचिव, परिवहन
22-07-13
4-7/AS/T/13

Shri Mishra
23/07/13

US/SO
23/7/2013

Contact nos. - 011-23355466-99, 23355472, 23355492, Fax: 91-11-23355477.
website : www.njc.org.in, E-mail: njcouncil.in@gmail.com, chairman@njc.org.in

May 08 14 11:47a

p.1

FROM :OFFICE OF CSC HIGH COURT UK NTL FAX NO. :05942235687 6 May 2014 12:46PM P1

Subhash Upadhyaya
Chief Standing Counsel,
Uttarakhand Government,
High Court of Uttarakhand
Nainital Pin - 263001

Office:-Office of the Advocate General,
Uttarakhand High Court, Nainital,
Mallital, Nainital
Fax:- 05942-235687,
Mob:-9837423377

URGENT FAX

Date 5-5-2014

1-Secretary, Transport,
Govt. of Uttarakhand, Dehradun.

2-Transport Commissioner,
Uttarakhand, Dehradun.

Reference:-Directions issued by the Hon'ble Court in Writ Petition (PIL) No.29 of 2014, Tarun Vijay Vs. State of Uttarakhand & Ors.

Sir,

Kindly take reference to the above noted subject matter.

A counter affidavit was filed on behalf of the Secretary, Transport, Govt. of Uttarakhand, Dehradun and Transport Commissioner, Uttarakhand, Dehradun in which it was stated that a Govt. Order dated 20th August, 2013 has been issued prohibiting govt. officers/ employees from using their nameplates depicting their posts/ designation and government namely, Government of India or State Government in their private vehicles. It was further stated in the counter affidavit that the transport department vide letter no.415/enforcement/ direction/one-29/2013 dated 2.9.2013 have issued direction to all Regional Transport Officers and Assistant Regional Transport Officers, Uttarakhand to ensure the compliance of the aforesaid Govt. Order dated 20.8.2013 prohibiting government officers/ employees from using their nameplates depicting their posts/ designation and government i.e. Government of India or State Government in their private vehicles

The Hon'ble Court has orally directed the undersigned to inform the officers of the State Government to strictly comply the said Government Order dated 20th August, 2013 and order dated 2nd September, 2013. The Hon'ble Court had also directed the undersigned to send a copy of Government Order dated 20th August, 2013 and 2nd September, 2013 to the Registrar General of the High Court for its compliance and the said letter has already been sent by the undersigned to the Registrar General, High Court on 2nd May, 2014.

Kindly ensure the compliance of the directions issued by the Hon'ble Court by strictly enforcing the Government Order dated 20th August, 2013 and consequential order dated 2nd September, 2013.

Yours sincerely,

Date: 2-5-2014

(Subhash Upadhyaya)
Chief Standing Counsel

208 ... देहरादून: दिनांक 08-5-14

डॉ० उमाकान्त पंवार)
सचिव
परिवहन पर्यटन एवं संस्कृति
उत्तराखण्ड शासन

8-5-14

Ad. Comm
(A) Enforce
please
8/5/14

ATC / Enforcement

अपर परिवहन आयुक्त
उत्तराखण्ड

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

पत्रांक 4157 /प्रवर्तन/निर्देश/एक–29/2013 दिनांक 02 सितम्बर ~~अगस्त~~, 2013

समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

समस्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशा0/प्रवर्तन)
उत्तराखण्ड।

1156 ..../नि०स०/स०/त०
दिनांक 06-9-13

विषयः– सरकारी कार्यालयों, अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपने प्राइवेट वाहनों पर (आगे व पीछे) भारत सरकार, उत्तराखण्ड सरकार अथवा सरकारी कार्यालय के नाम का प्रयोग प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में।

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–636/ix-1/103/2013 दिनांक 20 अगस्त, 2013 द्वारा अवगत कराया गया है कि सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 एंव केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के प्राविधानों के विरूद्ध अपने प्राइवेट वाहनों में भारत सरकार अथवा उत्तराखण्ड सरकार अथवा विभाग का नाम अंकित किया जा रहा है, जो लोक सेवक अधिकारों का दुरूपयोग है। पत्र द्वारा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि कोई भी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी अपने प्राइवेट वाहनों में भारत सरकार अथवा उत्तराखण्ड सरकार अथवा विभाग का नाम अंकित नहीं करेगा। यदि कोई ऐसा करते हुए पाया जाए तो उसके विरूद्व मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–177 के अधीन कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

अतः आपको उक्त पत्र की प्रति (संलग्नक सहित) इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि पत्र में दिये गये निर्देशानुसार अपने अधीन समस्त अधिकारियों एंव कर्मचारियों को सूचित कर दिया जाए कि वे अपने प्राइवेट वाहन में भारत सरकार अथवा उत्तराखण्ड सरकार अथवा विभाग का नाम अंकित न करें। यदि तदुपरांत भी कोई ऐसा करते हुए पाया जाए तो इसे लोक सेवक के अधिकारों का दुरूपयोग मानते हुए सम्बन्धित के विरूद्व मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–177 के अधीन कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

निर्देशों का अनुपालन प्राथमिकता के आधार पर कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नः– यथोक्त।

(डॉ0 उमाकांत पंवार)
परिवहन आयुक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सहायक परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को समविषयक निर्देशों का अनुपालन किये जाने हेतु संसूचित करना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 उमाकांत पंवार)
परिवहन आयुक्त।

डॉ० उमाकांत पंवार
सचिव
परिवहन पर्यटन एवं संस्कृति
उत्तराखण्ड शासन

शेखर भट्ट
सचिव, परिवहन
उत्तराखण्ड शासन

1666/D.S./2013

09/09/2013